

**रजिस्टर्ड डाक**

**संख्या: 08/2020/1083 प्रो०/51-2020-14(02)/2019**

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,  
अनु सचिव,  
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मथुरा।

**मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)**

लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2020

**विषय: राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 90 ए/नौ-बी/नाजिर/वाहन वी०आई०पी०/2020-21, दिनांक 06 जून, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथि के

1- श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, मा० मंत्री जल शक्ति,  
भारत सरकार।  
दिनांक 26-02-2020,  
वाहन संख्या: यू०पी०-75 जे०एन०-4508,  
देयक संख्या: आगरा/008, दिनांक 20-05-2020,

परिवहन से संबंधित पार्श्वकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि रु० 10,584=00 (रूपये दस हजार पाँच सौ चौरासी मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

**संलग्नक: 01 मूलदेयक।**

भवदीय,  
अजय कुमार ओझा  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या: 08/2020/1083 प्रो०/51-2020-14(02)/2019, तद् दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, मथुरा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहारी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
7. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से  
अजय कुमार ओझा  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।